200

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1642–दो/2005 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 13–09–2005 के द्वारा आयुक्त सागर संभाग सागर प्रकरण कमांक 247/अ–6/2000–01 निगरानी.

1– दीपक कुमार 2– अशोक
3– विश्वनाथ तीनों पुत्रगण स्व0 बलराम ब्रा0
निवासी ग्राम गर्रोली तहसील नौगावं
जिला छतरपुर म0प्र0 ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– घनश्याम दास पुत्र परम द्विवेदी
निवासी ग्राम मडरका तहसील
नौगांव जिला– छतरपुर म0प्र0 ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री आर0 डी0शर्मा)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री आर0एस0 सेंगर)

आ दे श

(आज दिनांक 14 –2– 2017 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण कमांक 247/अ–6/2000–01निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13.9.05 के विरूद्ध म0प्र0 भ–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि ग्राम गर्रोली स्थित कुल किता 15 कुल रकवा 4.467 है0 के हिस्सा 1/2 की भूमिस्वामिनी महिला लोहेडी वाली पत्नि स्व0 गोकुल थी। सहायक बंदोबस्त अधिकारी छतरपुर ने प्रकरण कमांक 60/अ–6/1995–96 में पारित आदेश दिनांक 6.8.96 से आवेदकगण का नामान्तरण स्वीकार किया। तदुपरांत दिनांक 18.10.96 एवं 22.1.97 को अनावेदक क–1 ने आ0 दि0 6.8.96 के पुनरावलोकन हेतु सहायक बंदोवस्त अधिकारी

छतरपुर के समक्ष पुनरावलोकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। सहायक बंदोवस्त अधिकारी छतरपुर ने प्रकरण कमांक 63/अ-6/96-97 दर्ज कर अंतरिम आदेश दिनांक 29-1-97 से आदेश दिनांक 6-8-1996 को पुनरावलोकन में लिये जाने की अनुमति कलेक्टर छतरपुर से मॉगी । कलेक्टर छतरपुर ने आदेश दिनांक 27-5-97 से पुनरावलोकन अनुमति प्रदान करते हुये प्रकरण सहायक बंदोवस्त अधिकारी छतरपुर की ओर लौटा दिया।

आवेदकगण ने पुनरावलोकन में लिये जाने की अनुमति हेतु दर्ज प्रकरण कमांक 63/अ-6/96-97 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 29-1-97 से कलेक्टर छतरपुर को भेजे गये प्रस्ताव के विरूद्ध अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष निगरानी कमांक 47/अ-6/97-98 प्रस्तुत की, जो आदेश दिनांक 28-8-2001 से निरस्त हुई। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण व्दारा आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करने पर प्रकरण कमांक 247/अ-6/2000-01 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13.9.05 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि सहायक बंदोवस्त अधिकारी छतरपुर ने प्रकरण कमांक 60/अ-6/1995-96 में पारित आदेश दिनांक 6-8-1996 से वादग्रस्त भूमि पर आवेदकगण का नामान्तरण इस आधार पर किया है कि ग्राम गर्रोली स्थित कुल किता 15 कुल रकबा 4.467 हैक्टर भूमि फेरन ब्राहमण के नाम से थी, उसकी मृत्यु उपरांत उसके दो पुत्र गोकुल प्रसाद एंव बलराम उर्फ बल्लू के नाम पर आई। गोकुल प्रसाद की मृत्यु उपरांत

हिस्सा 1/2 भूमि मृतक की पत्नि महिला लुहेड़ी वाली के नाम आई जो बेओलाद फोत हुई। आवेदकगण गोकुल प्रसाद के रक्तोदर भाई बलराम उर्फ बल्लू के पुत्रगण है अर्थात महिला लुहेड़ी वाली के सगे भतीजे हैं। पुनरावलोकन आवेदन कर्ता के सम्बन्ध में अपर कलेक्टर छतरपुर ने आदेश दिनांक 28-8-01 में यह अंकित किया है :-

" यहॉ यह उल्लेखनीय है कि गैरनिगरानीकर्ता घनश्यामदास व्दारा इस आधार पर सहायक बंदोवस्त अधिकारी छतरपुर के यहां आवेदन प्रस्तुत किया गया कि मुस. लोहेड़ीवाली ने दिनांक 20-1-96 को अपने जीवनकाल में उसके नाम एक बसीयतनामा अपनी स्वेच्छा से विवादित भूमि का संपादित कर दिया था, उसको बगैर सुने सहायक बंदोवस्त अधिकारी ने निगरानीकर्ता के नाम नामान्तरण किया है। सहायक बंदोवस्त अधिकारी व्दारा सहखातेदारों को कोई विधिवत् सूचना नहीं दी गई ।"

अपर कलेक्टर व्दारा अंकित अनुसार बसीयतग्रहीता को सूचना दिये बिना किये गये नामान्तरण के कारण पुनरावलोकन की अनुमति देना उचित समझा गया है। म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 110 के अंतर्गत बनाये गये नामान्तरण नियमों में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है कि नामान्तरणकर्ता अधिकारी पहले यह पता करे कि वादग्रस्त भूमि का कहीं कोई बसीयतग्रहीता तो नहीं है, अपितु मृतक खातेदार के उत्तराधिकारी व्दारा नामान्तरण आवेदन दिये जाने पर विधिवत् इस्तहार का प्रकाशन करने एंव मृतक खातेदार के विधिक वारिस पुत्र/पुत्रियों को सूचना देने का प्रावधान है। विचाराधीन प्रकरण में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि बसीयतग्रहीता घनश्याम दास द्विवेदी ने बसीयत के होते हुये मृतक खातेदार महिला लुहेड़ीवाली के स्थान पर समय रहते नामान्तरण आवेदन क्यों नहीं दिया, किन्तु सहायक बंदोवस्त अधिकारी छतरपुर व्दारा प्र0क0 63 अ-6-अ/97-98 में अंतरिम आदेश दिनांक 29-1-97 से आदेश पत्रिका लिखकर कलेक्टर छतरपुर से पुनरावलोकन अनुमति प्राप्त

करते समय और कलेक्टर छतरपुर व्दारा पुनरावलोकन अनुमति प्रदान करते समय इस बिन्दु पर विचार न करने में भूल की है जिसके कारण कलेक्टर छतरपुर व्दारा पुनरावलोकन अनुमति हेतु पारित आदेश दिनांक 22-5-97 त्रृटिपूर्ण हैं।

5/ प्रकरण में आये तथ्यों से प्रतीत होता है कि महिला लुहेड़ीवाली एंव आवेदकगण एक ही परिवार के सदस्य होकर पुरोहित ब्राहमण हैं जबकि बसीयतग्रहीता द्विवेदी ब्राहमण है। जब महिला लुहेड़ीवाली के रक्त बॅसज (देवर के लड़के) मौजूद हैं, अनावेदक घनश्याम दास पुत्र परम द्विवेदी व्दारा बसीयत के आधार पर एंव बसीयतग्रहण के उपरांत से खेती करते चले आने पर स्वत्व उत्पन्न हो जाने के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर नामान्तरण की मांग की जा रही है और मांग का निराकरण करने हेतु राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं है क्योंकि बसीयत दस्तावेज को सिद्व/असिद्व करार देने एंव स्वत्व के मामले के निराकरण की शक्तियॉ मान0 सिविल न्यायालय को प्राप्त है परन्तु कलेक्टर छतरपुर ने आदेश दिनांक 22-5-97 से पुनरावलोकन अनुमति देते समय इस तथ्य पर विचार न करने की भूल की है।

6/ सहायक बंदोवस्त अधिकारी छतरपुर के प्रकरण कमांक 63/अ-6-अ/97-98 में कलेक्टर छतरपुर व्दारा आदेश दिनांक 27-5-97 से पुनरावलोकन अनुमति प्रदान की है आदेश दिनांक 27-5-97 की छायाप्रति आयुक्त सागर संभाग, सागर के प्रकरण में पृष्ठ 19 , 20 पर संलग्न है जिसके अवलोकन से ज्ञात होता है कि पुनरावलोकन अनुमति दिये जाने के पूर्व कलेक्टर छतरपुर ने किसी भी पक्षकार को सुनवाई के लिये नहीं बुलाया है अपितु सीधे सहायक बंदोवस्त अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 29-1-97 पर आदेश दिनांक 27-5-97 से पुनरावलोकन अनुमति प्रदान कर दी है।

भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)-धारा-51- पुनरावलोकन किये जाने के आधारों सहित नोटिस को सम्बद्ध एंव प्रभावित होने वाले व्यक्तियों पर तामील कराई जाना अनिवार्य है अन्यथा कार्यवाही दूषित एंव शून्यवत् मानी जावेगी। (गनपत सिंह बनाम स्टेट 1962 रा0नि0 605 से अनुसरित)

विचाराधीन प्रकरण में कलेक्टर छतरपुर ने आवेदकगण को पुनरावलोकन अनुमति देने के पूर्व न तो सूचना जारी की है और न ही उन्हें सुनवाई का अवसर दिया है, जिसके कारण कलेक्टर छतरपुर व्दारा पारित आदेश दिनांक 27-5-97 , अपर कलेक्टर, छतरपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 47-अ-6/97-98 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28-8-01 तथा आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण क्रमांक 247/अ-6/ 2000-01 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13 सितम्बर, 2005 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण क्रमांक 247/अ-6/ 2000-01 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13 सितम्बर, 2005 एंव कलेक्टर छतरपुर व्दारा सहायक बंदोवस्त अधिकारी छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 63 अ-6-अ/97-98 में पारित आदेश दिनांक 27-5-97 तथा अपर कलेक्टर, छतरपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 47-अ-6/97-98 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28-8-01 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर